समाहरणालय, पटना।

(खनन शाखा)

पत्रांक__________/खनन, पटना।	फोन नं० :– 0612–2219545(O),2219097(R)
दिनांकः / / 2019	फैक्स नं०:– 0612 - 2218900 (Fax)
	ई–मेल :– dm-patna.bih@nic.in

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– पटना जिलान्तर्गत आगामी पंचांग वर्ष–2020 से पाँच वर्षो तक की अवधि के लिए सोन नदी के बालूघाटों की ई–नीलामी प्रक्रिया द्वारा बंदोबस्ती कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए स्थगन हेतु सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–3291, दिनांक–23.09.2019 तथा पत्रांक–3495, दिनांक–11.10.2019 एवं समाहर्त्ता, पटना का पत्रांक–2491, दिनांक–24.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पटना जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाटों की पंचांग वर्ष 2020 से पाँच वर्षों तक अवधि के लिए ई–नीलामी प्रक्रिया द्वारा बंदोबस्ती हेतु बन्दोबस्ती कार्यक्रम प्रासंगिक पत्रांक–2491, दिनांक–24.09.2019 (AD. No.-43991, AD Date: 26-09-2019) द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित थी, जिसका P.R. No.-08504 (District) 2019-20 है। माननीय एन.जी.टी. प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक–27.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में प्रासंगिक विभागीय पत्रांक द्वारा बन्दोबस्ती की कार्रवाई स्थगित करने से संबंधित सूचना की 5 (पाँच) प्रति एवं सी.डी. संलग्न करते हुए सूचना प्रकाशित करने हेतु इस पत्र के संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि इसे स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में अविलंब प्रकाशित कराने की कृपा की जाय

अनुलग्न–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक–2615/एम॰, पटना, दिनांक–14/10/19

प्रतिलिपिः– आई॰टी॰ मैनेजर, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

14/10/19
समाहर्त्ता,
पटना।

DM ltr 50.docx

समाहरणालय, पटना
(खनन शाखा)

बिहार सरकार

आवश्यक सूचना

पटना जिलान्तर्गत अवस्थित सोन नदी के बालूघाटों की पंचांग वर्ष 2020 से पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए ई–नीलामी द्वारा बंदोबस्ती हेतु बंदोबस्ती कार्यक्रम पत्रांक–2491, दिनांक–24.09.2019 (AD. ID-43991, AD Date: 26-09-2019) द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित थी, जिसका पी.आर. सं0–08504 (District) 2019–20 है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा OA No-66/2019 एवं समरुप वादों में दिनांक–27.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में आगामी पंचांग वर्ष 2020 से पाँच वर्षों के लिए बालूघाटों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा एतद् संबंध में पारित अगले आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जायगी।

समाहर्त्ता,
पटना